ईमेल/डाक/आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.3(3)(3)/रोल/निर्वा/2013/ 879 जयपुर, दिनांक 28/1/14

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान ।

विषय : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में से दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 सितम्बर, 2013 को किया गया था। अन्तिम प्रकाशन के समय मूल मतदाता सूची के साथ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान संशोधन, विलोपन एवं परिवर्धन की पूरक सूची–01 संलग्न कर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया था।

2. इसके पश्चात् दिनांक 6 सितम्बर, 2013 से निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान विधानसभा आम चुनाव 2013 के क्रम में नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करवाने एवं विलोपन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में पूरक सूची–2 तैयार की गई थी तथा मूल मतदाता सूची पूरक –1 व पूरक– 2 के साथ मतदाता सूचियों का प्रयोग विधानसभा आम चुनाव के दौरान किया गया है। अर्हता दिनांक 01.01.2014 के संदर्भ में जो प्रारूप मतदाता सूची दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित की गयी है, के साथ 2 पूरक सूचियां संलग्न थी का एकीकरण कर प्रारूप मतदाता सूची 2014 का प्रकाशन किया गया है तथा वर्तमान में इसके आधार पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव से पूर्व दिनांक 06 सितम्बर, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम चिन्हित कर इन्हें सत्यापित किया गया है तथा तद्नुसार विधिवत प्रकिया अपानते हुए दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम निरन्तर अद्यतन की प्रकिया से मतदाता सूची से हटाये गये है।

4. अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में दिनांक 06 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची के निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान साथ परिवर्धन की पूरक–2 (जोड़े गए नामों की सूची) जिसके द्वारा सम्पूर्ण राज्य में लगभग 2.73 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे, की जॉच दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में मूल मतदाता सूची 2013 व पूरक सूची –01 के पंजीकृत 4 करोड़ मतदाताओं के डेटाबेस से कराई गई है तथा राज्य में लगभग 16000 संभावित दोहरी प्रविष्टियां चिन्हित की गई है। चिन्हित की गई संभावित दोहरी प्रविष्टियां होने की स्थिति में विधिवत प्रकिया के अनुसार मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

4.1 विभाग द्वारा कम्प्यूटर डेटाबेस के आधार पर अर्हता दिनांक 01.01.2013 के साथ संलग्न परिर्वधन की सूची पूरक–2 में पंजीकृत मतदाताओं के डेटा का प्रारूप मतदाता सूची (मूल मतदाता सूची एवं पूरक –1) के 4 करोड़ मतदाताओं के डेटाबेस से कराई गई है तथा इसके आधार पर चिन्हित किए गए दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जिलेवार सूची तैयार की गई है जो कि आपके इस पत्र के साथ संलग्न कर ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

4.2 कृपया सर्वप्रथम आपके जिले के जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता चिन्हित किए गए है उनकी कार्यालय में ही जॉच कराई जाए, क्योंकि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में मतदाताओं के फोटो भी मुद्रित है। इसके साथ–साथ इस सूची में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं मतदाताओं के क्रमांक भी दर्शाए गए। जॉच के दौरान प्रारम्भिक तौर पर सर्वप्रथम दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की फोटो मिलान किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि फोटो आपस में मिलान कर रही है या नहीं । यदि फोटो मिलान नहीं कर रही है तो यह स्पष्ट है कि मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टि नहीं है ।

4.3 यदि फोटो मिलान कर रही है तो एक ही मतदाता की एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या जिले के दूसरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दोहरी प्रविष्टि हो सकती है। ऐसी स्थिति में यथास्थिति संबंधित बीएलओ के माध्यम से दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का सर्वे/सत्यापन कराया जाए। यदि मौके पर उक्त मतदाता बीएलओ को मिलता है तो उससे यह जानकारी प्राप्त की जाए कि वह किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/भाग में अपना नाम रखना चाहता है, यथास्थिति एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम हटाने हेतु उससे प्रारूप 7 में आवेदन प्राप्त किया जाए।

4.4 उपरोक्तानुसार किए गए सर्वे कार्य के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि चिन्हित किये गये दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता कितने है तथा कितने नाम प्ररूप 7 के माध्यम से विलोपित किये जाने है। **अतः जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अविलम्ब सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के सत्यापन का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराए तथा दोहरी प्रविष्टि हटाने के संबंध में प्रारूप 7 में आवेदन प्राप्त किए जाए।**

4.5 उक्त कार्यवाही के बाद अर्हता दिनांक 01.01.2014 के संदर्भ में मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रकिया में सर्वे के दौरान जो प्रारूप 7 में दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है उनका निस्तारण किया जाए तथा नाम विलोपन की कार्यवाही की जाए जिससे कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां हटाई जा सके।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि आप यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से समन्वय करवाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि पैरा 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप 7 में आवेदन प्राप्त कर निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान उक्त नामों को मतदाता सूची में से हटाने के विषय में कार्यवाही की जा सके।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) उक्त कार्यो की समीक्षा अपने स्तर पर करेगें तथा उक्त कार्य की समाप्ति के बाद इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में सूचना अविलम्ब विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रारूप मतदाता सूची – 2014 , प्ररूप – 02 में फोटो मतदाता सूची में 2013 की दोहरी प्रविष्टियों की संबंधित सूचियों में से चिह्नित किये गये विलोपन के संबंध में एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2014 में मूल मतदाता सूची 2013 व पूरक –01 के डेटाबेस व निरन्तर अद्यतन की पूरक –02 के डेटाबेस से मिलान के बाद चिन्हित/ सत्यापित की गयी दोहरी प्रविष्टियों की सूचना हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	विभाग द्वारा जिलेवार उपलब्ध करायी गई दोहरी प्रविष्टियों की संख्या	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सत्यापित की गई दोहरी प्रविष्टियों की संख्या	ऐसी दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता जिनके प्ररूप–7 में नाम हटाने हेतु आवेदन प्राप्त किये गये है, की संख्या	निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के बाद ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके नाम प्ररूप–7 के आधार पर मतदाता सूची से विलोपित किये गये है।
1	2	3	4	5

नोट :– (1) उक्त प्रपत्र में प्रथम सूचना संबंधित कॉलम में दिनांक 5 फरवरी, 2014 तक विभाग को प्रेषित की जानी है।

(2) द्वितीय सूचना दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक संबंधित कॉलम की यथास्थिति पूर्ति कर विभाग को प्रेषित की जानी है।